श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

दूरभाष : 0731-2432822 फैक्स : 0731-2536600

ई–मेल : commlab@nic.in वेबसाईट : http://labour.mp.gov.in

क्रमांकः– 9/ 27/तीन/2024/ इन्दौर, दिनांक 26/03 /2024

परिपत्र

भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट कमांक **ECI/PN/23**/2024 दिनांक 16.3.2024 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में विभिन्न चरणों में निम्नानुसार तिथियों को मतदान होना है–

कमांक	राज्य का नाम	मतदान दिनांक
1.	उत्तर प्रदेश	19.4.2024, 26.4.2024, 07.5.2024, 13.5.2024, 20.5.2024, 25.5.2024, 01.6.2024
2	राजस्थान	19.4.2024, 26.4.2024
3	महाराष्ट्र	19.4.2024, 26.4.2024, 07.5.2024, 13.5.2024, 20.5.2024
4	गुजरात	07.5.2024
5	छत्तीसगढ़	19.4.2024, 26.4.2024, 07.5.2024

निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्दिष्ट किया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य के सीमावर्ती जिलों में व्यवसाय,व्यापार औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य स्थापनाओं के ऐसे नियोजित कामगार जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान,गुजरात, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ राज्य के मतदाता है, उन्हें मतदान हेतु नियत मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु निर्देशित किया जाए।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार,व्यवसाय,औद्योगिक उपकम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो लोकसभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किये जाने का प्रावधान है। धारा 135 (ख) निम्न उद्धत हैः–

''135 ख–मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरीः–

1. किसी कारोबार, व्यवसाय,औद्योगिक उपकम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को जो लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जावेगा।
2. उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नही की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गयी होगी।
3. यदि कोई नियोजन उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसे नियोजक से जुर्माना जो 500/– तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
4. यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नही होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।''

अतः मध्यप्रदेश राज्य में स्थित औद्योगिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी स्थापनाओं के नियोजकों को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके संस्थान में कार्यरत सभी व्यक्तियों को जिनमें आकस्मिक एवं दैनिक मजदूर भी सम्मिलित है, जो उक्त पांचों राज्यों के पंजीकृत मतदाता है उन्हें लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवसों को सवैतनिक अवकाश प्रदान करें, ताकि उनके मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

26/03/2024
(स्वतंत्र कुमार सिंह)
श्रमायुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर

क्रमांकः– 9/ 27/तीन/2024/10399-542 इन्दौर, दिनांक 26/03/2024

प्रतिलिपि–

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, कानपुर (उत्तर प्रदेश) जयपुर (राजस्थान), मुबंई (महाराष्ट्र), गांधीनगर (गुजरात), रायपुर (छत्तीसगढ़)
2. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, निर्वाचन सदन, 17, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, 58 अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
7. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, जनसम्पर्क भवन, भोपाल की ओर अतिरिक्त प्रति सहित। कृपया प्रदेश के सभी स्थानीय तथा राज्य स्तरीय समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पर्याप्त प्रचार–प्रसार के लिए प्रकाशन हेतु प्रेषित।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त जिलाध्यक्ष एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. समस्त सहायक श्रम आयुक्त, /श्रम पदाधिकारी/सहा श्रम पदाधिकारी मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

26/03/2024
श्रमायुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर